आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522-4070570
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awasbandhu.in

संख्याः 9948 /आ0ब0-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 08 सितम्बर, 2023

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, व वाराणसी विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषय : राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन के सम्बन्ध में Senitisation Workshop का आयोजन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक अर्थ एवं संख्या, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 114/SSS-12/वर्कशाप/2015 दिनांक 04 सितम्बर, 2023 **(प्रतिसंलग्न)** का मयसंलग्नक अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इसी माह के तृतीय सप्ताह में केन्द्रीय सेक्टर की SSS योजनान्तर्गत "Data Collection, Processing for GDP Estimation, Estimating GDP from different sources of data and improving accuracy" विषयक एक 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पत्र द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि उक्त कार्यशाला के लिए आप अपने विभाग के मुख्यालय स्तर के सम्बन्धित उप निदेशक अथवा समकक्ष अधिकारी से ऊपर के अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु नामित करते हुये प्रभाग की वेबसाइट- updes.up.nic.in पर स्थित SSS Training/Workshop के अन्तर्गत SSS Workshop Nomination लिंक पर उपलब्ध Google Forms के माध्यम से दिनांक 12.09.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही नामित अधिकारियों से सम्बन्धित Google Forms की हस्ताक्षरित हार्ड कापी कवरिंग लेटर के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु अपने अभिकरणों से 2-2 अधिकारियों को नामित करते हुए, उक्त पत्र द्वारा की गई अपेक्षानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

08/09/2023

(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निदेशक, अर्थ एंव संख्या, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रवि जैन)
निदेशक

सं-1574/आ॰ब/23
08/09/23

प्रेषक,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
आवास एवं शहरी नियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्याः 114/SSS-12 /राज्यआय/2015 दिनांकःलखनऊः 04 सितम्बर ,2023

विषय : राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन के सम्बन्ध में Sensitisation Workshop का आयोजन।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव महोदय के पत्र संख्या- 35-2013/1/2023-2- दिनांक 07.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में हो रहे नियेश, विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन, निर्माण, सेवा क्षेत्र, व्यापार आदि क्षेत्रों में सम्बन्धित विभागों द्वारा किये जा रहे योगदान का ससमय एवं सही आंकलन के साथ-साथ सम्बन्धित सेक्टर से जुड़ी सभी इकाईयों एवं उनके उत्पाद से जुड़े, आंकडों के आंकलन तथा सकल घरेलू आय अनुमान तैयार किये जाने में प्रयुक्त होने वाले आंकड़ों के साथ-साथ राज्य आय अनुमान तैयार किये जाने सम्बन्धित प्रक्रिया के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों एवं क्षेत्रीय स्तर पर सभी सम्बन्धितों को Sensitise किये जाने के सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मुख्य सचिव महोदय के उक्त निर्देशो के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2023 से 28.07.2023 के मध्य कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं।

प्रदेश स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालयों में इस कार्य से सम्बन्धित गुणवत्तापूर्ण आंकड़े ससमय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में Sensitise किया जाना है, जिसके लिये इसी माह के तृतीय सप्ताह में केन्द्रीय सेक्टर की SSS योजनान्तर्गत "Data Collection, Processing for GDP Estimation, EStimating GDP from diffrent sources of data and improving accuracy" विषयक एक 03 दियसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यशाला के लिये आप अपने विभाग के मुख्यालय स्तर के सम्बन्धित उप निदेशक अथवा समकक्ष अधिकारी से ऊपर के अधिकारियों को संलग्नक के अनुसार निर्धारित संख्या के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु नामित करते हुये प्रभाग की वेबसाइट-updes.up.nic.in पर स्थित SSS Traning/Workshop के अन्तर्गत SSS Workshop Nomanation लिंक पर उपलब्ध Google Forms के माध्यम से दिनांक 12.09.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही नामित अधिकारियों से सम्बन्धित Google Forms की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी कवरिंग लेटर केअ साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीया
04.09.23
(डॉ0 दिव्या सरीन मेहरोत्रा)
निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।

स०नि०(ई०आई०), आ०नि०
08/09/23

45616/2023

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

प्रेष्य,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-2 दिनांकः लखनऊः 07 जुलाई, 2023

विषयः- सांख्यिकी ऑकड़ों के संग्रहण के लिए Sensitization Workshop का आयोजन।

महोदय,

भारत की आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भव्य एवं विकसित भारत निर्माण के प्रण तथा प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनाये जाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में विकास के अलग-अलग आयामों को बल प्रदान किये जाने हेतु समग्र रूप से अथक प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका वास्तविक प्रतिबिम्ब विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऑकड़ों में भी होना परम आवश्यक है।

1. इसी परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि भारत सरकार के कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षणों यथा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, Periodic Labour Force Survey (PLFS) एवं Annual Survey of Unincorporated Enterprises(ASUSE) नियमित रूप से सम्पूर्ण भारतवर्ष में सम्पादित कराये जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के अन्तर्गत भी जनपद स्तर पर विभिन्न चयनित इकाईयों का सर्वेक्षण भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाता है, परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त सर्वेक्षणों के दौरान सर्वेक्षण की जानकारी के अभाव में प्रतिदर्श इकाईयों से ऑकड़ों के संग्रहण में अपेक्षित सहयोग नही मिल पाता है, जिससे संग्रहित ऑकड़ों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनके द्वारा किया जा रहा योगदान वास्तविक रूप से परिलक्षित नही हो पाता है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नियोजन के पत्र संख्या 218ए/पैंतीस-2-2023 दिनांक 30.02.2023 तथा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 373/पैंतीस-2-2023 दिनांक 03.03.2023 द्वारा क्षेत्र में चल रहे सर्वेक्षणों के ऑकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहयोग प्रदान करने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था।
2. प्रदेश में हो रहे निवेश, विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन, निर्माण, सेवा क्षेत्र, व्यापार आदि क्षेत्रों में सम्बन्धित विभागों द्वारा किये जा रहे योगदान का ससमय एवं सही आंकलन इन सर्वेक्षणों के माध्यम से अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये सम्बन्धित सेक्टर से जुड़ी सभी इकाईयों एवं उनके उत्पाद से जुड़े ऑकड़ों के आंकलन करने वाले सम्बन्धित विभागों को Sensitise करने हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन कराया जाये।
3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित सेक्टर से जुड़ी इकाईयों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को Sensitise किये जाने हेतु जिला स्तर पर उक्त संगोष्ठी दिनांक 16.07.2023 से दिनांक 30.07.2023 के मध्य आयोजित करा ली जाये। जनपद स्तर पर उक्त संगोष्ठी के आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1.	जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	- सदस्य
3.	क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एस.ओ, भारत सरकार के प्रतिनिधि	- सदस्य

4. उप निदेशक, कारखाना - सदस्य
5. उप/सह श्रमायुक्त - सदस्य
6. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी - सदस्य
7. सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा - सदस्य
8. जिला सूचना अधिकारी - सदस्य
9. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र - संयोजक
10. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी - सदस्य सचिव

उक्त समिति से निम्नलिखित कार्यवाहियाँ अपेक्षित हैः

i) उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित सर्वेक्षणों से जुड़ी सभी इकाईयों एवं उनके यूनियन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये एवं संगोष्ठी में उनके विभाग से सम्बन्धित अधिकारी भी उपस्थित रहें। प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागों यथा रजिस्ट्रार चिट फंड सोसायटी, कृषि विपणन, उद्योग बन्धु, व्यापार कर अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं नियन्धक, सहकारिता, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग आदि के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स व भारत सरकार के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी संगोष्ठी में आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाये।

ii) एन.एस.ओ, भारत सरकार के अधिकारियों, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा उक्त सर्वेक्षणों की महत्ता के दृष्टिगत सभी स्टेकहोल्डर्स को Sensitise करते हुए राज्य आय के आंकलन में इन आँकड़ों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है तथा उनसे किन बिन्दुओं पर सहयोग अपेक्षित है, के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये।

iii) जनपद स्तर पर प्रत्येक संगोष्ठी की अध्यक्षता जिलाधिकारी तथा मण्डल मुख्यालय पर मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

iv) आयोजित होने वाली प्रत्येक संगोष्ठी का सूचना विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा सर्वेक्षण की आवश्यकता तथा उपयोगिता से जन सामान्य को समाचार पत्रों/न्यूज चैनलों के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।

v) उक्त संगोष्ठियों के आयोजन से सम्बन्धित फोटोग्राफ, विडियोग्राफी तथा समाचार पत्रों/न्यूज चैनलों में इनके कवरेज से सम्बन्धित सामग्री अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 को ई-मेल fsdesd@nic.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त का अनुपालन समयान्तर्गत करना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 07.07.2023 10:09:03
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्याः /पैंतीस-2-2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. महा निदेशक (एन.एस.एस), एन.एस.ओ, साँख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।
13. उप महानिदेशक, आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) लखनऊ/प्रयागराज/बरेली/आगरा, एन.एस.ओ. भारत सरकार।
14. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
15. विभागाध्यक्ष, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त संगोष्ठी के आयोजन की निर्धारित तिथि की सूचना अर्थ एवं संख्या प्रभाग, मुख्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
19. अन्य सम्बन्धित अधिकारी।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव
नियोजन विभाग।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या	क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या
1	कृषि विभाग	25	19	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	10
2	कृषि सांख्यिकी विभाग	15	20	औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त	10
3	कृषि विपणन विभाग	5	21	नगर विकास विभाग	20
4	मण्डी परिषद	5	22	श्रम विभाग	5
5	उद्यान विभाग	10	23	ऊर्जा विभाग	15
6	खाद्य प्रसंस्करण विभाग	10	24	वैकल्पिक ऊर्जा विभाग	5
7	पशुपालन विभाग	20	25	पर्यटन विभाग	10
8	दुग्ध विकास विभाग	20	26	लोक निर्माण विभाग	20
9	गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग	10	27	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	10
10	मत्स्य विकास विभाग	10	28	परिवहन विभाग	10
11	वन विभाग	15	29	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	15
12	रेशम विभाग	5	30	चिकित्सा विभाग	15
13	खनन विभाग	3	31	शिक्षा विभाग(बेसिक,माध्यमिक,उच्च)	10
14	सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई	5	32	नागरिक उड्डयन विभाग	2
15	ग्राम्य विकास विभाग	10	33	वित्त विभाग	10
16	सिंचाई विभाग	10	34	जी0एस0टी0	5
17	राजस्व विभाग	10	35	अर्थ एवं संख्या प्रभाग	30
18	कार्यालय, निदेशक, कारखाना	10		कुल	400